



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ खान
कुलसचिव (कार्यवाहक)
Kadar Nawaz Khan
Registrar (Acting)

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

पत्रांक : 003/2019/स.नि.अनु./324/2025/221
दिनांक : 20.08.2025

कार्यालयादेश

विद्या-परिषद् की मद संख्या 50 (02) "आवासीय अवधि पूर्ण नहीं किये शोधार्थियों को पीएच.डी. पूर्ण करने की अनुमति" के अंतर्गत विश्वविद्यालय के पीएच.डी. शोधार्थियों की आवासीय अवधि से सम्बन्धित प्रकरणों तथा विविध कारणों से लम्बित प्रकरणों की समीक्षा एवं आवश्यक अनुशंसा हेतु समिति गठित करने के लिए कुलपति को अधिकृत किया है।

उक्त निर्णय अनुपालन में निम्नलिखित की समिति गठित की जाती है :

- | | |
|--|--------------|
| 1. प्रो. फरहद मलिक, अधिष्ठाता, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ | — अध्यक्ष |
| 2. प्रो. जनार्दन कुमार तिवारी, अधिष्ठाता, विधि विद्यापीठ | — सदस्य |
| 3. श्री विनोद वैद्य, सहायक कुलसचिव, परीक्षा विभाग | — सदस्य सचिव |

समिति विश्वविद्यालय के पीएच.डी. शोधार्थियों की आवासीय अवधि संबंधी एवं अन्य लम्बित प्रकरणों की समीक्षा कर आवश्यक अनुशंसा प्रस्तुत करेगी।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्गत किया जाता है।

कादर नवाज़
(कादर नवाज़ खान)
20/08/25

प्रति (ई-मेल द्वारा) : समस्त संबंधिता

प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा) :

1. कुलपति सचिवालय
2. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक
3. वित्त विभाग
4. प्रभारी लीला (विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
5. रक्षित पत्रावली